न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2023

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. कमल सिंह पुत्र भैरू सिंह
2. गायत्री देवी पुत्री भैरू सिंह
3. गोपाल कंवर पत्नि भैरू सिंह
4. प्रेमवती पुत्री भैरू सिंह
5. रामकंवर पुत्री भैरू सिंह
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र भैरू सिंह
7. सज्जन कंवर पुत्री भैरू सिंह
8. सत्तू सिंह पुत्र भैरू सिंह
9. संतोष देवी पुत्री भैरू सिंह
10. सावित्री पुत्री भैरू सिंह

सर्व जाति राजपूत सर्व निवासीगण ग्राम चैनपुरिया, मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 20/06/2024

उपस्थितः प्रार्थी — श्रीमती नीता मेहरा — तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि श्री कमल सिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी चैनपुरिया ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद संख्या 122207814414739 दर्ज कराकर उनकी खातेदारी कृषि भूमि वाकै ग्राम किशनगढ़ बी के ख0नं0 1432/1 की सेग्रीगेशन नक्शे में तरमीम शुद्धि हेतु परिवाद दर्ज कराया गया था। राजस्व ग्राम [illegible] बी के ख0नं0 1432/1 रकबा 1.0926 हैक्टेयर भूमि कमल सिंह वल्द पि0 भैरू [illegible] नाम जमाबन्दी के खाता सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

348 पर दर्ज है। पूर्व में ख0नं0 1432 कुल रकबा 1.8372 हैक्टेयर था। उक्त खसरा भूमि में से खातेदार द्वारा 0.7446 हैक्टेयर भूमि का बैचान करने से ख0नं0 1432/1 रकबा 0.0926 एवं ख0नं0 1432/2 रकबा 0.7446 हैक्टेयर बना। ख0नं0 1432/2 रकबा 0.7446 में आवासीय योजना विकसित होकर उक्त भूमि 90B की कार्यवाही से नगर परिषद किशनगढ़ के नाम दर्ज हो चुकी है। सेग्रीगेशन ऑनलाईन वन टू वन मैप तैयार करते समय नक्शे में तरमीम मौके एवं बैचान अनुसार नहीं की जाने से खातेदारी के नक्शे में अशुद्धि दर्ज हो गयी। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा आवेदक द्वारा बैचान के समय बैचाननामे में लगाये गये नक्शे की छायाप्रति पेश कर ग्राम मदनगंज किशनगढ़ के ख0नं0 1432/2 व 1432/1 की प्रस्तावित शुद्धि की अनुशंषा की है।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix B, Form No. 2) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 से 10 की ओर से वकील श्रीमती नीता मेहरा द्वारा वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

3.1 अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि पूर्व ख0नं0 1432/1 एवं वर्तमान ख0नं0 1432/2 ग्राम किशनगढ़ में स्थित है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि 90बी की कार्यवाही से नगर परिषद किशनगढ़ के नाम दर्ज हो चुकी है। सेग्रीगेशन ऑन लाईन वन टू वन मैप तैयार करते समय नक्शे में तरमीम मौके एवं बैचान अनुसार नहीं की जाने से खातेदारों के नक्शे में अशुद्धि दर्ज हो गयी है। अतः जवाबकर्तागण द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान् भूमि के नक्शे में तरमीम किये जाने में अपनी सहमती व्यक्त की।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि पूर्व में ख0नं0 1432 कुल रकबा 1.8372 हैक्टेयर था। उक्त खसरा भूमि में से खातेदार द्वारा 0.7446 हैक्टेयर भूमि का बैचान करने से ख0नं0 1432/1 रकबा 0.0926 एवं ख0नं0 1432/2 रकबा 0.7446 हैक्टेयर बना। ख0नं0 1432/2 रकबा 0.7446 में आवासीय योजना विकसित होकर उक्त भूमि 90B की कार्यवाही से नगर परिषद किशनगढ़ के नाम दर्ज हो चुकी है। सेग्रीगेशन ऑनलाईन वन टू वन मैप तैयार करते समय नक्शे में तरमीम मौके एवं बैचान अनुसार नहीं की जाने से खातेदारी के नक्शे में अशुद्धि दर्ज हो गयी। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा आवेदक द्वारा बैचान के समय बैचाननामे में लगाये गये नक्शे की छायाप्रति पेश कर ग्राम मदनगंज किशनगढ़ के ख0नं0 1432/2 व 1432/1 की प्रस्तावित शुद्धि की अनुशंषा

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहरते हुए निवेदन किया कि सेग्रीगेशन ऑन लाईन वन टू वन मैप तैयार करते समय नक्शे में तरमींम मौके एवं बैचान अनुसार नहीं की जाने से खातेदारों के नक्शे में अशुद्धि दर्ज हो गयी है। अतः अप्रार्थीगण द्वांरा उपरोक्त खसरा नम्बरान् भूमि के नक्शे में तरमीम किये जाने में अपनी सहमती व्यक्त की।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन् किया गया। तहसीलदार किशनगढ़ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा बैचान के समय बैचाननामे में लगाये गये नक्शे के अनुसार ग्राम मदनगंज किशनगढ़ के ख0नं0 1432/2 व 1432/1 की प्रस्तावित शुद्धि की अनुशंषा की है तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 10 द्वारा भी उक्तानुसार तरमीम किये जाने में सहमती पेश की है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ को उक्त प्रकरण में मौके एवं बैचान के समय बैचाननामे में लगाये गये नक्शे के अनुसार राजस्व मानिचत्र में तरमीम करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20/06/2024 को खुले न्यायांलय में सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:53:15 IST
Reason: SelfAttested